<u>समाहरणालय,मधेपुरा</u> ।

<u>(उत्पाद-विभाग)</u>

<u>किराया के वाहन से संबन्धित निविदा</u>

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नयी उत्पाद नीति-2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मधेपुरा जिले में 24X7 छापामारी एवं गश्ती कार्य हेतु मासिक किराया पर पाँच वाहनों (टाटा सुमो,स्कॉर्पियो अथवा बोलेरो चालक सहित) की निम्न शर्तो के अनुसार आवश्यकता है:-

1. वाहन का पंजीकरण व्यावसायिक हो 2. वाहन के सभी टैक्स अध्यतन जमा हो
1. वाहन का प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण पत्र अद्यतन हो 4. वाहन पुरी तरह सही अवस्था में हो 5. वाहन बीमाकृत हो ।

उल्लेखनीय है कि वाहन के रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी परंतु वाहन के ईन्धन (डीजल) की आपूर्ति आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा की जाएगी । प्रथम वार में वाहन का एकरारनामा ग्यारह माह के लिए होगा जिसे उक्त समयावधि के पश्चात संतुष्टी के आधार पर नवीकरण किया जा सकेगा ।निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगी ।

इच्छुक उम्मीदवार/संस्था अपना निविदा/आवेदन वांछित मासिक किराया(ईन्धन रहित) का उल्लेख करते हुए वाहनों के कागजातों एवं चालक के अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित छाया-प्रतियों के साथ संलग्न कर मुहरबन्द लिफाफे में 28-03-2016 के सायं 5.00 बजे तक अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।निविदा दिनांक 30-03-2016 को समाहर्ता, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में 4.00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी । विस्तृत जानकारी अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है ।

-ह0/-
समाहर्ता,
मधेपुरा ।